अध्याय 1

सामान्य

अध्याय 1 : सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014–19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर–भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समनुदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.1** में वर्णित है।

तालिका 1.1
प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	**राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व**					
	• कर राजस्व	20,750.23	25,449.18	23,742.26	23,136.49	29,408.14
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**3.96**	**22.65**	**(-) 6.71**	**(-) 2.55**	**27.11**
	• कर–भिन्न राजस्व	1,557.98	2,185.64	2,403.11	3,506.74	4,130.56
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**0.85**	**40.29**	**9.95**	**45.93**	**17.79**
	कुल	**22,308.21**	**27,634.82**	**26,145.37**	**26,643.23**	**33,538.70**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	36,963.07	48,922.68	58,880.59	65,083.38	73,603.13[1]
	• सहायता अनुदान[2]	19,146.26	19,565.60	20,559.02	25,720.13	24,651.62[3]
	कुल	**56,109.33**	**68,488.28**	**79,439.61**	**90,803.51**	**98,254.75**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**78,417.54**	**96,123.10**	**1,05,584.98**	**1,17,446.74**	**1,31,793.45**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**28**	**29**	**25**	**23**	**25**
5.	**कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता**	**26**	**26**	**22**	**20**	**22**

(स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2014–19 के दौरान कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.89 प्रतिशत एवं 22.96 प्रतिशत था।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष–वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 18,166.79 करोड़), 0008– एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹ 1,449.80 करोड़), 0020–निगम कर (₹ 25,596.84 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 18,850.99 करोड़), 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 133.31 करोड़), 0032– सम्पत्ति पर कर (₹ 9.40 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 5,217.40 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,467.28 करोड़), 0044–सेवा कर (₹ 673.31 करोड़) एवं 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 38.01 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।

[2] केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश को अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

[3] माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 2,571 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन (2015–16 से) के पश्चात केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

वर्ष 2018–19 के राज्य के राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.1** में दिया गया है:

चार्ट संख्या 1.1
2018–19 के राज्य के राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

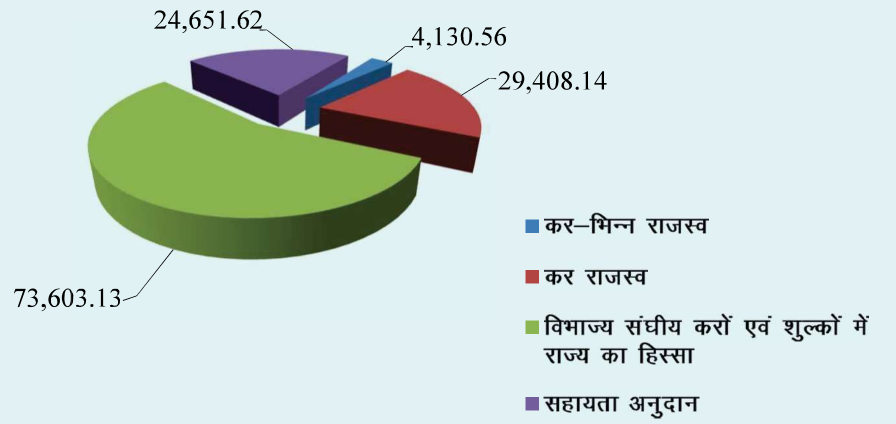

1.1.2 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर–राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	निम्न की तुलना में वर्ष 2018–19 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2018–19 के बजट अनुमान	2017–18 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	0.00 6,746.96	15,000.00 15,288.06	1.92	126.59
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,820.15 8,607.16	16,025.18 10,603.40	14,021.33 11,873.51	24,400.00 8,298.10	7,890.00 6,584.24	(-) 16.55	(-) 20.65
3.	माल एवं यात्रियों पर कर[4]	4,117.50 4,451.25	5,146.88 6,087.12	7,211.96 6,245.62	0.00 1,644.85	0.00 398.74	-	(-) 75.76
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	48.59 105.34	45.43 69.36	88.90 81.08	0.01 20.51	0.02 1.16	5,700.00	(-) 94.34
उप–कुल (1, 2, 3 और 4)		**16,986.24** **13,163.75**	**21,217.49** **16,759.88**	**21,322.19** **18,200.21**	**24,400.01** **16,710.42**	**22,890.02** **22,272.20**	**(-) 2.70**	**33.28**
5.	राज्य उत्पाद[5]	3,700.00 3,216.58	4,000.00 3,141.75	2,100.00 29.66	0.00 (-)3.43	0.00 (-) 9.63	-	(-) 180.76
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	3,600.00 2,699.49	4,000.00 3,408.57	3,800.00 2,981.95	4,600.00 3,725.66	4,700.00 4,188.61	(-) 10.88	12.43

[4] 2018–19 की अवधि के दौरान वस्तु एवं यात्री पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से है, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया गया।

[5] बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	निम्न की तुलना में वर्ष 2018–19 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2018–19 के बजट अनुमान	2017–18 की वास्तविकी
7.	वाहनों पर कर	1,000.00 963.56	1,200.00 1,081.22	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	4.30	30.41
8.	भू–राजस्व	250.00 277.13	300.00 695.15	330.00 971.12	600.00 778.65	1,000.00 476.80	(-) 52.32	(-) 38.77
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	82.70 374.76	102.50 297.99	590.04 223.90	501.09 239.16	310.00 269.17	(-) 13.17	12.55
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	44.00 54.96	55.00 64.55	88.03 78.75	100.00 86.52	102.00 125.05	22.60	44.53
	कुल	**25,662.94** **20,750.23**	**30,874.99** **25,449.11**	**29,730.26** **23,742.26**	**32,001.10** **23,136.49**	**31,002.02** **29,408.14**	**(-) 5.14**	**27.11**

{स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ}

वर्ष 2018–19 के राज्य के कर राजस्व का ब्योरा चार्ट : 1.2 में दिया गया है:

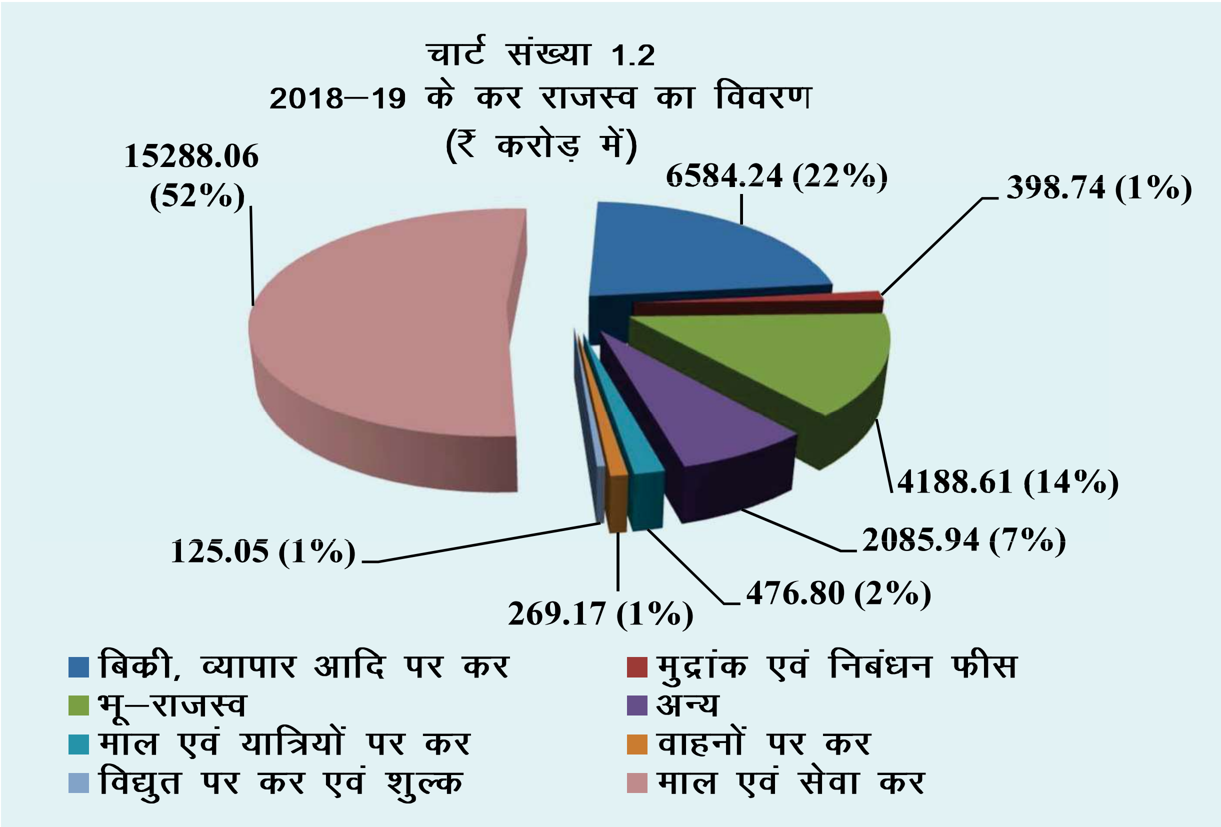

तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2018–19 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

भिन्नताओं के कारणों को नीचे वर्णित किया गया है –

वाणिज्य कर[6] : विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि चूकि माल एवं सेवा कर एक लक्ष्य आधारित खपत कर है, बिहार को एक खपत वाला राज्य देखते हुए बजट तैयार किया गया है। 2018–19 के दौरान वास्तविक संग्रह और बजट अनुमान में भिन्नता का कारण माल एवं सेवा कर का संक्रमणकालीन अवधि थी।

राज्य उत्पाद : लेखा परीक्षा ने पाया कि जुर्माना एवं जब्ती, वाणिज्यिक एवं विकृत स्प्रीट एवं औषधीय शराब, माल्ट शराब, औषधीय एवं अल्कोहल, ओपीयम आदि युक्त प्रसाधन निर्मितियाँ एवं अन्य प्राप्तियों एवं वापसियों के कारण राजस्व संग्रह ₹ 0.59 करोड़ था तथा ₹ 10.22 करोड़ की वापसी के परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान ₹ 9.63 करोड़ की शुद्ध हानि हुई। मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन के कारण बजट अनुमान 'शून्य' निर्धारित किया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीसः विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि 2018–19 के दौरान बजट अनुमान पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के प्राप्ति में 10.88 प्रतिशत कमी का मुख्य कारण अनुमानित दस्तावेजों की संख्या से संबंधित संपत्ती के स्थानान्तरण दस्तावेजों में कमी था।

वाहनों पर करः लेखा परीक्षा ने पाया कि 2017–18 के वास्तविक प्राप्ति की तुलना में 2018–19 के वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का कारण वाहनों के एक्स शो रूम मूल्य में वृद्धि, माल वाहनों के लदे हुए वजन पर कर में वृद्धि एवं वाहनों में बैठने की क्षमता पर वार्षिक करों में वृद्धि था। आगे 2018–19 के दौरान वाहनों के निबंधन में 6.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग ने 2018–19 के दौरान एमनेस्टी योजना के तहत ₹ 50 करोड़ की वसूली भी की।

भू–राजस्व : लेखा परीक्षा ने पाया कि 2017–18 के वास्तविक संग्रह (₹ 778.65 करोड़) की तुलना में 2018–19 के दौरान भू–राजस्व में ₹ 301.85 करोड़ (38.77 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण स्थापना प्रभार[7] की दर में की गई कमी थी।

1.1.3 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर–भिन्न राजस्वों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

[6] वाणिज्य कर में राज्य माल एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

[7] स्थापना प्रभार का दरः 20 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 15 लाख से अधिक हो, 25 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 10 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख से कम हो, 30 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो तथा 35 प्रतिशत यदि मुआवजा राशि 5 लाख से कम हो। स्थापना प्रभार की दर 27.06.2018 से 2 प्रतिशत के लिए संशोधित की गई थी।

तालिका 1.3

कर–भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	निम्न की तुलना में वर्ष 2017–18 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	2018–19 के बजट अनुमान	2017–18 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	750.00 / 879.87	1,000.00 / 971.34	1,100.00 / 997.60	1,350.00 / 1,082.67	1,600.00 / 1,560.65	(-) 2.46	44.15
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	202.22 / 344.77	312.13 / 583.66	365.78 / 939.91	619.25 / 1,577.24	2,187.39 / 1,371.94	(-) 32.28	(-) 13.02
3.	पुलिस	69.74 / 29.50	28.93 / 66.05	31.74 / 42.16	41.53 / 86.04	46.19 / 30.41	(-) 34.16	(-) 64.66
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	251.60 / 21.77	51.25 / 72.61	23.35 / 99.88	256.32 / 25.84	20.10 / 46.80	132.84	81.11
5.	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ[8]	1,797.93 / 282.07	1,988.80 / 491.98	819.87 / 323.56	567.21 / 734.95	592.21 / 1,120.76	89.25	52.49
	कुल प्राप्तियाँ	**1,557.98**	**2,185.64**	**2,403.11**	**3,506.74**	**4,130.56**	**(-) 7.09**	**17.79**

(स्रोतः वित्त लेखा बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्ति एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पुंजीगत प्राप्तियाँ के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

[8] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में 2018–19 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैः सड़क तथा सेतु (₹ 118.06 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 66.61 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 62.37 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 29.11 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 18.85 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 34.09 करोड़), अन्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 21.42 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 558.75 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 14.99 करोड़), वृहत सिंचाई (₹ 36.92 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 15.85 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 14.89 करोड़), जेल (₹ 14.77 करोड़), मतस्य पालन (₹ 13.17 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 3.73 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 11.41 करोड़), आवास (₹ 3.47 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.94 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.30 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.08 करोड़), पशुपालन (₹ 0.65 करोड़), सहकारिता (₹ 20.46 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.28 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 11.40 करोड़), नागर विमानन (₹ 6.70 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.19 करोड़), पर्यटन (₹ 1.75 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.06 करोड़), उद्योग (₹ 0.13 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.11 करोड़), लोक कार्य (₹ 25.39 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.12 करोड़) एवं लाभांश एवं लाभ (₹ 13.67 करोड़)।

2018–19 में राज्य के कर–भिन राजस्व का ब्योरा चार्ट 1.3 में दिया गया है।

(₹करोड़ में)

चार्ट संख्या 1.3
2018–19 के कर भिन्न राजस्व का विवरण

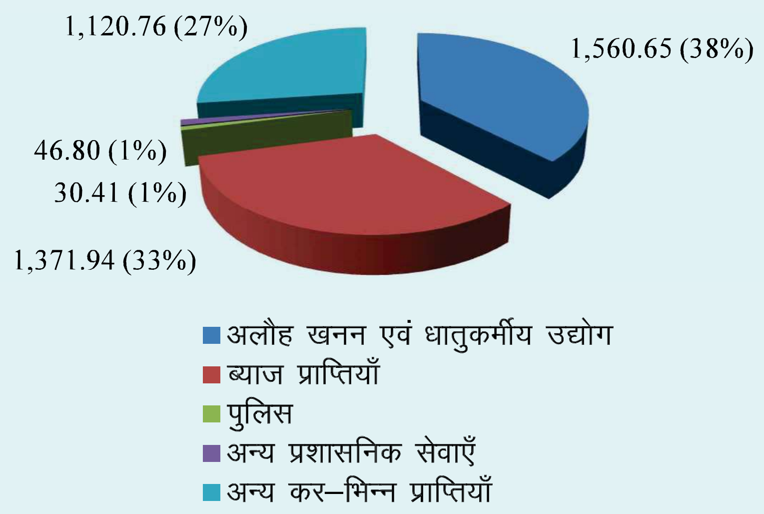

व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:–

खनन प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2017–18 के वास्तविक के सापेक्ष 2018–19 के दौरान खनन प्राप्ति के वृद्धि (44.15 प्रतिशत) का कारण बालू के बन्दोबस्ती राशि में वृद्धि, कार्य प्रमंडल द्वारा रॉयल्टी की राशि को विविध शीर्ष के बदले खनन शीर्ष में जमा करना, चूना पत्थर से प्राप्ति एवं जुर्माना लगाना है।

ब्याज प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018–19 में ब्याज प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से अन्य प्राप्तियों के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी। अन्य प्राप्तियों में बैंक खातों में रखे गए सरकारी धन पर अर्जित ब्याज और सरकारी खातों में जमा करना शामिल है। 2017–18 के दौरान बैंक खाते से अर्जित ब्याज ₹ 742.58 करोड़ था जबकि 2018–19 के दौरान यह केवल ₹ 228.01 करोड़ था।

पुलिस प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017–18 की वास्तविक प्राप्तियों के मुकाबले 2018–19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण मुख्य रूप से फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत् कम प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि बजट अनुमानों पर 2018–19 के दौरान 132.84 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण 2017–18 की वास्तविक प्राप्तियों पर चुनाव उप–शीर्ष के तहत् प्राप्तियों में ₹ 24.91 करोड़ की वृद्धि थी।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018–19 के दौरान बजट अनुमान पर वास्तविक प्राप्तियों की अधिकता का मुख्य कारण पिछले वर्ष के ₹ 202.53 करोड़ के मुकाबले 2018–19 के दौरान पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों के लिए योगदान एवं वसूली के तहत ₹ 558.75 करोड़ की प्राप्ति थी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को बकाया राजस्व ₹ 4,107.32 करोड़ था जिसमें से ₹ 521.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा **तालिका 1.4** में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व	31 मार्च 2019 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बन की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,919.29	467.38	₹ 2,919.25 करोड़ में से ₹ 349.14 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 796.09 करोड़ एवं ₹ 425.49 करोड़ की वसूली क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 5.75 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 2.45 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,340.37 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	419.49	13.51	₹ 419.49 करोड़ में से ₹ 1.32 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ 304.00 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी तथा ₹ 114.14 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	1.57	1.52	₹ 1.57 करोड़ में से ₹ 1.37 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹ 0.20 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	179.30	–	₹ 178.13 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.82	7.69	₹ 10.82 करोड़ में से ₹ 8.55 करोड़ के माँग के लिए बकायें भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गये थे एवं ₹ 2.27 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू–राजस्व	188.24	–	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	–	2.59	₹ 2.87 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे।
8.	राज्य उत्पाद	46.54	28.38	₹ 46.54 करोड़ में से ₹ 27.48 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 7.57 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा विभाग द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने एवं आवेदनों के सुधार/पुनरीक्षण के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.39 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था ₹ 10.96 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	342.07	–	₹ 342.07 करोड़ के कुल बकाये के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गये थे।
	कुल	**4107.32**	**521.07**	

(स्रोत : विभागों से प्राप्त सूचनाएँ)

राजस्व के बकायों से संबंधित अभिलेखों के जाँच के क्रम में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को पाया :

वाणिज्य कर विभाग: चार स्मार पत्रों (जनवरी एवं फरवरी 2020) के बावजूद विभाग ने राजस्व के बकायों से संबंधित व्यवसायी वार विस्तृत विवरणी उपलब्ध नहीं कराई। विभाग ने क्षेत्र इकाईयों से बकायों की सूचना की माँग (फरवरी 2020) की जो यह दर्शाता है कि विभाग के पास राजस्व के बकायों से संबंधित डाटाबेस मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं था।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (उत्पाद) विभागः विभाग ने 31.03.2019 के अनुसार राजस्व के बकाये ₹46.54 करोड़ सूचित (दिसम्बर 2019) किया था जबकि ₹ 55.58 करोड़ राजस्व बकाये के लिए निलामवाद दायर किये गये थे। पुनः पृच्छा पर विभाग ने राजस्व बकाया ₹ 49.32 करोड़ बताया (जनवरी 2020) उसके बाद ₹ 52.19 करोड़ किंतु लेखापरीक्षा को जाँच के लिए अलग–अलग मामलों को उपलब्ध कराने में विफल रहा। विभाग द्वारा दी गई एक ही सूचना के संबंध में भिन्नता आँकड़ों के अविश्वसनीयता को दर्शाता है। आगे पाया गया कि विभाग बकायों के संग्रह के प्रगति का निगरानी करने में विफल रहा क्योंकि उसके पास मुख्यालय स्तर पर अदत्त बकायों का डाटाबेस नहीं है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभागः विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि 31.03.2019 को राजस्व का बकाया ₹ 188.24 करोड़ था, यद्यपि लेखापरीक्षा ने अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया कि राजस्व का बकाया ₹ 421.84 करोड़ (भूमि के किराये के बकाया के रूप में ₹ 415.27 करोड़ एवं सैरात से राजस्व के बकाये ₹ 6.57 करोड़) था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग ने ₹ 233.60 करोड़ के राजस्व बकाया को कम बताया जो कि एक गंभीर मुद्दा है एवं शीघ्र सम्बोधित करने की आवश्यकता है। राजस्व के बकाये के आँकड़ों में भिन्नता के कारणों को बताने के लिए विभाग से आग्रह (फरवरी एवं मई 2020) किया गया था किंतु जनवरी 2021 तक विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह भी पाया गया कि विभाग के पास अदत्त बकाये से संबंधित डाटाबेस मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

निबंधन विभागः विभाग ने बताया (मई 2020) कि पूर्व में (जनवरी 2020) प्रदान की गई राजस्व के बकाये की सूचना गलत थी। यह दर्शाता है कि विभाग के पास राजस्व के बकाये से संबंधित अविश्वसनीय सूचना थी एवं वास्तविक स्थिति को जाँचने की आवश्यकता है।

परिवहन विभागः विभाग ने अनुरोध के बावजूद व्यक्तिगत डिफॉल्टर्स का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। यद्यपि विभाग ने राजस्व के बकाये के वसूली हेतु एमनेस्टी स्कीम (5 जुलाई 2017 से 4 जनवरी 2018 एवं 8 मार्च 2018 से 30 जनवरी 2019) लागू किया।

अनुशंसाः विभागों को आवधिक समीक्षा, मिलान तथा बकायों के परिसमापन के लिए लंबित बकायों का एक डाटाबेस बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व का बकाया जो विवादग्रस्त नहीं है की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन–संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2010 तथा नवम्बर 2018 के बीच उपस्थापित 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 252 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के

उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से समर्पित की गई। मई 2020 से, विभिन्न विभागों[9] से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियॉं प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2009	23.07.2010	29	26	3
2	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
3	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0
4	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	36	2
5	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
6	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	5
7	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	34	5
8	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	19	23
9	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	6	30
कुल			**330**	**260**	**70**

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू की थी, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 63 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य–कर विभाग, मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग एवं परिवहन विभाग से संबंधित 47 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (मई 2020)।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने सचिव, बिहार विधानसभा (अगस्त 2018) एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार (जुलाई 2019) को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व–व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था। लेखापरीक्षा के अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं लोक लेखा समिति के सिफारिशों पर स्व–व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ जमा करने हेतु निर्देश (अगस्त एवं नवंबर 2019) जारी किया।

अनुशंसाः राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा यह भी सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

[9] वाणिज्य कर (50 कंडिकाएँ); मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (2 कंडिकाएँ); परिवहन (1 कंडिका) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार (17 कंडिकाएँ)।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2009–10 से 2018–19 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में उद्घटित हुआ कि मार्च 2019 के अंत तक 2,745 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 22,953 कंडिकाएँ लंबित थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 27,265.93 करोड़ तक है जबकि राज्य का 2018–19 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 33,538.70 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6

विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	417	9,848	11,882.41
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	361	1,590	1,163.90
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	824	5,282	8,580.46
4	परिवहन	वाहनों पर कर	371	2,827	1,600.82
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	389	1,173	1,118.36
6	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	383	2,233	2,919.98
	कुल		**2,745**	**22,953**	**27,265.93**

लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों का समाधान करने के लिए लेखापरीक्षा समिति बैठक संगठित करने हेतु सभी छः विभागों को अनुरोध (सितम्बर 2019) किया गया था। फिर भी उन्होंने लेखापरीक्षा अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि 2009–10 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 15,306 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,167 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,030 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर, जो कि लेखा परीक्षा एव लेखा विनियमन 2007 के विनियमन 197 के अनुसार कार्यालयों के प्रधानों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री व्यापर आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर	86	3,067	5,005.97
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	75	395	238.78
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	539	3,643	7,077.92
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	242	1,847	916.40
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	124	375	882.65
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	101	703	1,184.28
	कुल		**1,167**	**10,030**	**15,306**

इस तथ्य को प्रधान सचिव, वित्त विभाग को जून 2019 में प्रतिवेदित किया गया था, जिन्होंने सभी राजस्व विभाग को लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों के द्रूत अनुपालन हेतु निर्देश (जुलाई 2019) दिया।

अनुशंसाः

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें, एक प्रणाली आरंभ कर सकती है।

1.4.2 तथ्यों के विवरणी एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उनका ध्यान आकृष्ट कराने एवं छः सप्ताह के अन्दर उनका मंतव्य हेतु अनुरोध किया जाता है। विभाग/सरकार से जवाब नहीं प्राप्त होने के तथ्य को प्रतिवेदन में शामिल ऐसे कंडिकाओं के अन्त में दर्शाया जाता है।

2019–20 के दौरान 352 तथ्यों के विवरणी प्रधान सचिव/सचिव को निर्गत की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा को 280 (79.55 प्रतिशत) तथ्यों के विवरणी का जवाब (2 जून 2020) प्राप्त नहीं हुआ जिसका विवरण **तालिका 1.8** में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.8

प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग को जारी किये गये तथ्यों के विवरणी की संख्या	तथ्यों के विवरणी की संख्या जिनके जवाब प्राप्त हुये
1.	वाणिज्य कर	181	0
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार	59	0
3.	परिवहन	53	30
4.	निबंधन	7	7
5.	खान एवं भूतत्व	52	35
	कुल	**352**	**72**

तदन्तर, 2019–20 में 24 कंडिकाएँ संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को उनके जवाब/प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया। हालाँकि लेखापरीक्षा को 22 प्रारूप कंडिकाओं का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (मई 2020)।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018–19 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,349 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 35 (2.59 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इसके अलावा सितम्बर 2019 से जनवरी 2020 के बीच वाणिज्य कर विभाग के दो इकाईयों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 14 इकाईयों, परिवहन विभाग के एक इकाई, निबंधन विभाग के आठ इकाईयों एवं खान एवं भूतत्व विभाग के 12 इकाईयों की भी लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा ने 629 मामलों में कुल ₹ 3,658.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया, जिसे विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा बताया गया था। संबंधित विभागों ने 1,648 मामलों में ₹ 1,336.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020) जिसमें से ₹ 366.27 करोड़ के 55 मामले 2018–19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 196 मामलों में ₹ 8.90 करोड़ का वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के बीच) किया।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ और **''मोटर वाहन कर का संग्रहण एवं आरोपण''** पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,389.53 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 1,081.49 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (मई 2020 तक)। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्त्ती अध्याय 2 से 6 में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिये कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद है, अगर हाँ, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।